पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

PGCIL/R/2019/M-43 | दिनांक: 11 सितम्बर, 2019

श्री कंचन कुमार
ग्राम – अशोक नगर, पोस्ट-नौलखी,भाया-मुरलीगंज, जिला-पूर्णियाँ
पिन – 852122, **बिहार**

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया ,

कृपया आर.टी.आई.अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 20 अगस्त, 2019 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-। में संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री संजीव सिंह,
कार्यपालक निदेशक (सी.एम.जी.) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
"सौदामिनी", प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा
ईमेल आईडी: sanjeev@powergridindia.com
फोन नंबर: 0124-2571962

धन्यवाद,

भवदीय,

11/09/19

(जसबीर सिंह)
वरिष्ठ महाप्रबंधक (के.आ.) व के.लो.सू.अधिकारी
Email id: cpio.cc@powergrid.co.in

अनुलग्नक-I

कृपया आर.टी.आई.अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 20 अगस्त, 2019 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा किये गये शिकायत को जांच के बाद, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से बंद कर दिया गया है।

इस संदर्भ में आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आपने पूर्व में कई बार सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया है। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इसी तरह के समरूप केस (CIC/SA/A/2015/001849) में केंद्रीय सूचना आयोग ने यह कहा है कि *"there is no merit in the second appeal filed by the appellant; the appellant has sufficiently used the RTI act for his self-interest, without any public interest for his personal vengeance against the public authority for denying him promotion/enhanced pay. Therefore, the commission admonishes the appellant for this misuse of RTI act just for the sake of vengeance forcing them to devote all their valuable time, energy etc".* अत: केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले को देखते हुए आपके इस संदर्भ में सूचना के अधिकार के तहत भविष्य में की जाने वाली किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

-----x-------